श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, कांट्रेक्ट लेबर के लिए पहले लिखकर के देना पड़ता है, एन्श्योर करना पड़ता है कि वे उन्हें पूरे मिनीमम वेजिज देंगे। अगर कहीं से भी मिनीमम वेजिज नहीं देने की शिकायत आती है तो उनके पैसे से कटौती करके हम लेबर को देते हैं और उनको सजा भी देते हैं।

*142. [*The questioner (Shri K.B. Krishna Murthy) was absent. For answer vide page* 34-35.]

*143. [*The questioner (Shri Dipankar Mukherjee) was absent. For answer vide page* 35.]

Legislation on minimum wages

*144. SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating a legislation providing for minimum wages for workers in the unorganised sectors including rag-pickers and rickshaw pullers;

(b) the rationale behind leaving out domestic workers from the ambit of this proposed legislation; and

(c) whether the trade unions have expressed reservations over the legislation for lack of implementing mechanism and the fact that it requires contributions from beneficiaries?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) There already exists a Legislation namely the Minimum Wages Act, 1948 which provides for fixation, revision and enforcement of minimum wages in respect of the workers engaged in the scheduled employments, mostly in the unorganized sector, both in the Central and State sphere. Rag pickers and Rickshaw pullers are not included in the scheduled employment. The domestic workers are also not included under the Minimum Wage Act, 1948 as they are not engaged in production activities as relating to the industrial units or establishments.

A Comprehensive Bill for the unorganized sector workers is proposed to be introduced in the Parliament, wherein it is envisaged to regulate the employment and conditions of service of unorganized sector workers and to provide for their safety, social security, health & welfare and matters connected therewith or incidental thereto on contributory basis from workers, employers and the Government. The Draft legislation has been unanimously recommended by all the social partners in the recently held Indian Labour Conference on 16—18 October, 2003 for introduction in the Parliament.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, there has been a long-pending move to make the right to work a fundamental right under the Constitution of India, and to provide for unemployment allowance for those who are not able to secure employment. It is essential to see that the right to work is included in the relevant Schedule of the Constitution as a fundamental right. Will it be taken up by the hon. Minister?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, वर्षों से इस बात की मांग रही है कि जो लोग अनएम्प्लाइड हैं उनको हम काम दें या उनको भत्ता दें। यद्यपि इस बात से सभी सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन बजट के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके कारण अभी तक पिछले 56 साल से, जब से देश आजाद हुआ है, हर सरकार इस पर विचार करती है लेकिन दे नहीं पाई है। व्यक्तिगत की जहां तक बात है, अनइम्प्लॉइड लोगों को हम काम दें या किसी प्रकार का भत्ता मिले, हमारी सरकार का प्रारम्भ से यह प्रयास चल रहा है लेकिन अभी तक वह भत्ता देने में हम इसलिए सफल नहीं हो पाए हैं क्योंकि उसके लिए बजट में जो प्रावधान चाहिए, उस पैसे की कमी है।

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, is it not strange that the Government had not included domestic servants in the list of beneficiaries? Will they do something for housemaids and other servants? Will the Government include them in the list of beneficiaries?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, यह एक बहुत बड़ी बहस का विषय है माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि इस बारे में उनकी जो राय हैं, अगर यह पता चले तो अच्छा होगा क्योंकि अभी इस पर विचार चल रहा है कि उसको इन्क्लूड करना है या नहीं करना। मैं कई बार यह सोचता हूं कि जो डोमैस्टिक सरवेंट हैं, In most of the cases, they are just family members. वे एक परिवार के सदस्य की तरह से रहते हैं, परिवार के सदस्य की तरह से ही घर के अंदर काम करते हैं, उन्हीं के साथ बैठकर खाते-पीते हैं ... (व्यवधान) एक मिनट ... (**व्यवधान**) Let me finish ...*(Interruptions)*...

Let me finish... *(Interruptions)*... Let me finish ... *(Interruptions)*... मुझे कहने तो दें। ...(**व्यवधान**)...

MISS MABEL REBELLO: He is casting aspersions, Sir... *(Interruptions)*

श्री सभापति: उनकी बात सुनिए।... (**व्यवधान**)...

श्री साहिब सिंह वर्मा: मेरा ऐसा अनुभव है। ... (**व्यवधान**)... मेरे घर में जो काम करते हैं, उनके साथ मेरा ऐसा अनुभव है। हो सकता है, आप ऐसा व्यवहार न करते हों इसलिए आपका ऐसा अनुभव न हो। ...(**व्यवधान**)... लेकिन मुझे कहने तो दें। ...(**व्यवधान**)...

MISS MABEL REBELLO: He is a Minister, Sir. What he is saying ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: सुनिए तो सही। गुस्सा मत करिए। ...(**व्यवधान**)... आप ऐसा गुस्सा करती हैं तो ... *(व्यवधान)*...

MISS MABEL REBELLO: He is casting aspersions on me ... *(Interruptions)*...

श्री सभापति: वह ठीक है। आप ऐसा गुस्सा करती हैं तो ...(**व्यवधान**)...

MISS MABEL REBELLO: I seek your protection. ...*(Interruptions)*... I seek your protection... *(Interruptions)*... He is casting aspersions on me. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: माननीय सदस्या बैठिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ...(**व्यवधान**)... आपका क्वेश्चन नहीं है। आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

MISS MABEL REBELLO: He is casting aspersions on me ... *(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बैठिए न अब। ... (**व्यवधान**)...

MISS MABEL REBELLO: You must give me protection ...*(Interruptions)*... He is casting aspersions on me... *(Interruptions)*...

श्री सभापति: आपका क्वेश्चन नहीं है, आप बात कहां कर रही हैं? यह लिखा नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**) ... मुझे एक बात तो पता लग गयी कि आप जैसे गुस्सा होने वाले मालिकों के साथ कौन डोमैस्टिक सरवेंट रहेगा? ...(**व्यवधान**)...

MISS MABEL REBELLO: *

श्री सभापति: ठीक है। ... (**व्यवधान**)... मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई डोमैस्टिक सरवेंट मिल जाए। श्री प्रेम गुप्ता। ... (**व्यवधान**)... अब हो गया। आप लोग बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेम गुप्ता: चेयरमैन सर, कोई भी भारतीय देश में कहीं भी काम कर सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट का मैडम ने सवाल उठाया। पीछे कुछ समय पहले किसी पर्टीकुलर पार्टी का डेलीगेशन माननीय मंत्री महोदय से मिला और कहा कि किसी राज्य विशेष में बिहार के लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा।

श्री सभापति: यह आप यहां मत लाओं।

श्री प्रेम गुप्ता: यह फंडामेंटल राइट का ईशु है।

श्री सभापति: वह ठीक है लेकिन इसे यहां मत लाओ।

श्री प्रेम गुप्ता: पूरे देश में कोई भारतीय कहीं भी काम कर सकता है तो क्या मंत्री महोदय ने यह कहा कि उन लोगों को अवॉयड करने के लिए उस राज्य की लैंगुएज को सरकारी भर्तियों के लिए इनकोरपरेट कर दिया जाए ताकि बिहार के लोग वहां काम नहीं कर सकें।

Is it a fact or not? If it is a fact, how could he do this?

श्री सभापति: सीधा हां या न में कहिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, ऐसा कहने का तो कभी प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री सभापति: नहीं कहा है न। बस किस्सा खत्म हुआ। श्री प्रफुल्ल पटेल।

श्री प्रेम गुप्ता: यह गलत चीज है। आप देश के मंत्रिमंडल के सीनियर सदस्य हैं और आपका इस तरह से एक रीजनलिज़म को एनकरेज करना ...(**व्यवधान**)...

श्री सभाप्रति: वह कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेम गुप्ता: उसको बढ़ावा देना ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, मैं कहता हूं कि मैंने नहीं कहा। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि कहा है तो बताइए कब कहा है, क्या कहा है, कहां कहा है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नहीं कहा है। ...(**व्यवधान**)... अब छोड़िए इस बात को। ...(**व्यवधान**)...

*Not recorded.

श्री साहिब सिंह वर्मा: बिल्कुल गलत बात है। ... (व्यवधान)... मैंने यह नहीं कहा है।

श्री प्रेम गुप्ता: मैं आपको आपके चैंबर में मिलकर आपको डेट, तारीख और पार्टी का नाम सब डिटेल दे दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप मुझे बता देना। ... (व्यवधान)...

श्री प्रेम गुप्ता: आप इनको बुलाकर पूछ लें कि क्या इन्होंने ऐसी एश्योरेंस दी या नहीं दी?

श्री सभापति: अगर आप लिखकर देंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा। ... (व्यवधान)...

श्री प्रेम गुप्ता: अगर यह किया गया है तो आर्टीकाल 370 का पूरे देश में ...(व्यवधान)...

श्री साहिब सिंह वर्मा: यह रिकार्ड से एक्सपंज होना चाहिए क्योंकि मैंने इस तरह की बात कही ही नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री प्रेम गुप्ता: पूरे देश में कश्मीर वाली स्थिति हो जाएगी। ... (व्यवधान)...

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सदस्य का इस प्रकार से कहना और एक खास प्रदेश के लोगों के लिए कोई बात करना, यह बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की बात इनको नहीं करनी चाहिए ... (व्यवधान)...

श्री प्रेम गुप्ता: मैं आपके चैम्बर में मिलकर आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ये मुझे चैम्बर में बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह बात रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए। यह बिलकुल गलत बात है यह बात पैदा करना...

श्री सभापति: पैदा कहां कर रहे हैं आप? उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आपने "न" कह दिया, बात खत्म। ...(व्यवधान)...

SHRI PREM CHAND GUPTA: I accept the challenge. I am prepared to provide the ...*(Interruptions)*. He has encourage regionalism in the Central Government ...*(Interruptions)*.

श्री सभापति: चलिए, आप झगड़े में क्यों पड़ते हैं? आप तो मुझे कागज देंगे न?

श्री साहिब सिंह वर्मा: मैं इनसे तो ज्यादा बिहारी लोगों से प्यार करता हूं। ये तो अपने मतलब से गए होंगे वहां।

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, प्रफुल्ल पटेल बोलिए।

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति महोदय, इस प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री जी ने दिया है कि a comprehensive will for the unorganised sector workers is proposed to be introduced in Parliament. माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि कई ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं जहां प्रत्येक स्टेट अपने हिसाब से मिनिमम वेजेज़ निर्धारित करता है और इसकी वजह से एक स्टेट और दूसरे स्टेट में जो अंतर रहता है-मैं साथ लगे हुए राज्यों की भी बात कर रहा हूं कि उदाहरणत: कहीं पचास रुपए मिनिमम वेज है, कहीं साठ रुपए है- तो प्लाइट ऑफ लेबर होने से कई इंडस्ट्रीज़ उससे अफेक्ट होती हैं। यह जो कॉम्प्रिहेंसिव बिल आप लाना चाहते हैं, उसमें कम से कम लगे हुए राज्यों या पूरे देश के राज्यों के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, उनके लिए आपका कॉमन मिनिमम वेजेज़ लाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि यह राज्यों का विषय है। हम राज्यों को सलाह तो दे सकते हैं लेकिन राज्यों को इसके लिए compel नहीं कर सकते। पिछले दिनों एक बात आई थी बीड़ी वर्कर्स की, जो अलग-अलग राज्यों में काम करते हैं। उन बीड़ी वर्कर्स की कहीं वेजेज़ कम हैं तो कहीं ज्यादा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी पड़ता है और लेबर की मूवमेंट में—जैसे आपने सही कहा—उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जो बीड़ी वर्कर्स का मामला है, हमारा वेलफेयर बोर्ड उसको कंट्रोल करता है, इनको फैसिलिटीज़ देता है—मकान की फैसिलिटी देता है, दूसरी सुविधाएं देता है। इस प्रकार जिस-जिसमें हमारी दखलंदाज़ी सीधी है, उसमें तो हम कर सकते हैं लेकिन बाकी तो हम राज्यों को ही सलाह देते हैं कि उनकी मोबिलिटी ऑफ लेबर unnecessarily ...

MR. CHAIRMAN: Question No. 145.

Pension and Insurance Benefits for unorganised sector

*145. MISS MABEL REBELLO: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce pension and insurance benefits for the unorganised sector;

(b) if so, the details of the sectors that would be covered by this scheme;

(c) whether the self-employed person would also be covered by this programme; and